UPSR010004242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP02008

अग्रिम जमानत आवेदन नं०-156/2026

पिन्टू उम्र 31 वर्ष पुत्र दुखराम,
निवासी–मसहा, पोस्ट–मोतीपुरकला, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

............आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 ....अभियोगी

अ0सं0–21/2026
धारा–141, 143 (5) बी0एन0एस0
थाना–सिरसिया, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 10.03.2026

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन

1– वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **पिन्टू** की ओर से अपराध संख्या 21/2026, धारा 141, 143 (5) बी0एन0एस0, थाना सिरसिया, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा/उप निरीक्षक दीपक गिरि ने थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती में दिनांक 30.01.2026 को इस आशय की फर्द बरामदगी दी गयी कि "आज दिनांक 31.01.2026 को मैं उ0 नि0 दीपक गिरि मय हमराही महिला उ0नि0 नमिता सिंह, म०आ० सुनीता, म०अ० लक्ष्मी, हे0 का0 विनोद, हे० का० राहुल सिंह के साथ तालबधौडा बाजार से भचकाही गांव जाने वाली से नेपाल बार्डर की तरफ जा रहे थे कि तालबधौड़ा बजार से 01 कि०मी० आगे बढे कि 1. A.C. अमित शर्मा UIN 16020276 मो0न–99586XXXXX 2–SI/GD दयान सिंह UIN–13080070 मो0नं0 84680XXXXX 3. MCT/GD स्मृति बोरा UIN 11081721 मो0नं0 99576XXXXX 4. MCT/GD जैस्मीन गोगोई UIN 14121445 मो0नं0 97075XXXXX 5. CT/GD अमित यादव UIN 12081454 मो0नं0 70709XXXXX 6. CT/GD मोनू सिंह UIN 13271100 मो0नं0 63968XXXXX मिले जिनसे भारत नेपाल बार्डर की सुरक्षा के संबन्ध में आपस में वार्ता की जा रही थी कि उसी समय

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.10 15:01:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुखबिर खास मौके पर आया और सूचना दिया कि भारत के दो लड़के नेपाल राष्ट्र से चार नाबालिग लड़कियो को नृत्य कराने के बहाने नेपाल से भारत में लाते हैं लेकिन उनके साथ अनुचित संभोग एवं उनका लैंगिक शोषण करते हुए उनके साथ दासत के समान व्यवहार करने के उद्देशय जंगल के रास्ते से ला रहे हैं जिनको यहां से बेचईपुरवा (चौकी विभूति नाथ) मे मालिक राम के मकान में रखेगें और वहा से सिद्धार्थनगर के एक मास के मेले में ले जाकर उनको धन देकर डांस करायेगे और उनका शारीरिक शोषण करेगें अगर जल्दी किया जाये तो वो लोग लड़कियों के साथ ही पकडे जा सकते हैं। उक्त सूचना पर मैं उ0 नि0 तत्काल देहात इण्डिया एन०जी०ओ० प्रभारी मो० युसुफ व एच०टि०यू० टीम के उ0 नि0 सतीश गौतम को उचित माध्यम उपरोक्त को सूचना दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर कुछ समय बाद एन०जी०ओ० टीम के मो० युसुफ मो0 73552XXXXX व लक्ष्मी देवी मो0नं0 73104XXXXX व नीरज श्रीवास्तव मो0नं0 85286XXXXX एवं एच०टि०यू० टीम के उ0 नि0 सतीश गौतम, म०आ० कंचन, म०आ० गरिमा सिंह चौलक अमोल कुमार मय वाहन UP46G0395 मौके पर आये सभी लोगों को मुखबिर की सूचना व मकसद से अवगत कराते हुए मुखबिर खास को साथ लेकर हम सभी लोग उसके बताये रास्ते पर चल दिये जब हम सब ई समवाय सीमा चौकी गुज्जर गौरी के कार्य क्षेत्र के ग्राम भचकाही के आगे जंगल की तरफ जाने वाले पगडंडी रास्ते पर पहुँचे कि मुखबिर खास ने बताया कि वह लोग इसी रास्ते से आने वाले हैं तो हम सभी लोग आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इत्मीनान किये कि हम लोगों के पास जेब खर्च के आलावा अन्य कोई नाजायाज सय बरामद नहीं हुआ, हम सभी लोग जंगल के रास्ते के दोनो तरफ छुप कर गाड़ा बन्दी कर आने वाले व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे कि कुछ समय बाद जंगल की तरफ से दो मोटर साईकिल की हेड लाईट की रोशनी आती दिखाई दी जिनकी तरफ इशारा कर मुखविर मौके से भलाई बुराई की बात बता कर हट बढ़ गया हम लोग आने वाली मोटर साइकिल को एक बारगी होकर रोके और टोके तो उक्त लोग हडबडा कर मोटरसाईकिल मोडना चाहे कि हम लोग उपरोक्त लोगों को घेर कर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति जो मोटरसाइकिल नं UP46S 2792 को चला रहा था से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हरीराम यादव पुत्र रक्षाराम उम्र 21 वर्ष पता ग्राम बभनी कुकुर भुंकवा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती मो0नं0 95651XXXXX बताया तथा दूसरे ने जिसकी मोटर साईकल सं0 UP46 F 6712 था उसने अपना नाम रामरूप पुत्र राम लोटन उम्र 20 वर्ष पता ग्राम बभनी कुकुर भुंकवा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती तथा अपना मो0नं0 70488XXXXX बताया मोटरसाईकिल सं0 UP 46S2792 पर दो लड़कियां बैग लिये बैठी थी जिनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम रबीना चौधरी पुत्री

गनेशकुमार चौधरी पता ग्राम बरदिया जिला बांके राष्ट्र नेपाल उम्र 18 वर्ष बताई दूसरे ने अपना नाम सीता थारु पुत्री संतराम थारू ग्राम शिवनिया जनपद बांके राष्ट्र नेपाल उम्र 18 वर्ष मो0नं0 98039XXXXX बताई तथा मोटरसाइकिल नं0 UP46F6712 पर बैठी दो लड़कियां जिनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम पुष्पा थारू पुत्री तनक राम थारु ग्राम शिवनिया जनपद बांके राष्ट्र नेपाल उम्र 18 वर्ष तथा दूसरी ने अपना नाम दीप शिखा चौधरी पुत्री मान सिंह चौधरी ग्राम शिवनिया जनपद बांके उम्र 17 वर्ष मो0नं0 98043XXXXX बताई उक्त लडकियों के बैग की तलाशी म0 उ0 नि0 नमिता सिंह द्वारा ली गयी तो लडकियों के पास तीन बैग प्लास्टिक छिटदार लाल पीला रंग के जिसके अन्दर खाने पीने का सामान व महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र व गरम कपडे पाये गये मोटरसाइकिल सं0 UP 46S 2792 के भारतीय चालक हरिराम उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसकी पहने हुए पैंट की दाहिनी जेब से एक मोबाइल जो गहरे नीले रंग का जो विवो कंपनी का है जिस पर पीछे दो कैमरा लैस बना हुआ है व एक छोटी फ्लैश लाईट है तथा बाये जेब से 100 रुपय की नोट बरामद हुआ तथा दूसरे मोटर साइकिल से UP46 F6712 के भारतिय चालक राम रूप के पैंट की पिछली जेब से 100 रुपय की नोट व आधार कार्ड जिसका नं 7856992XXXXX व पैंट की दाहिने जेब से एक मोबाईल जिसपर सफेद रंग का कवर चढ़ा है जिसका कवर हटा कर देखा गया तो उक्त मोबाइल का रंग काला जो ओपो कंपनी का है जिसमें पीछे की तरफ दो कैमरा लेंस व एक सफेद रंग का स्टीकर ओपो कंपनी का चिपका हुआ है व दो छोटी फ्लैश लाईट लगी है। पकडे गये दोनो व्यक्तियो से उपरोक्त नेपाली लड़कियों को भारत लाने के संबन्द में पूछा गया तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि कमल पुत्र रक्षाराम निवासी ग्राम बभनी कुकुरभुंकवा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती व पिन्टू जिसके पिता का नाम व पता नहीं जानते हैं उपरोक्त दोनों लोग डांस पार्टी चलाते हैं उस डांस पार्टी में नेपाल से लड़कियों को लाकर बेचईपुरवा गाँव में मालिक राम यादव के मकान में किराये पर रखते हैं इस समय सिद्वार्थनगर में एक माह का मेला लगने वाला है जिसमें दोनों लोग अपनी डान्स पार्टी को ले जाने के लिये तैयारी किये हैं जिसमें डांस हेतु लड़कियों की आवश्यकता है इसके लिये कमल नेपाल की लड़कियों से डांस हेतु पहले से वार्ता किये थे इस लिये हम दोनों लोगों से कमल ने बताया कि आप दोनो लोग राष्ट्र नेपाल में वैजापुर चौराहे पर चले जाईए जहां पर तीन बैग लेकर के चार लडकियां होटल पर मिलेंगी जिनसे हमारी बात हो चुकी है आप लोग केवल उन लड़कियों से बताइयेगा कि कमल हम लोगों को भेजे हैं इस पर हम दोनों लोग नेपाल गये और कमल के बताये स्थान पर वैजापुर चौराहे पर स्थित होटल के सामने 04 लड़कियां 3 बैग लेकर मिली उनके गारजियन वहां पर नहीं थे जिनको हम लोग नेपाल से अपनी–अपनी मोटरसाइकिल पर दो दो लडकियां

बैठाकर भारत ला रहे थे हम लोगो से कमल ने बताया था कि इन लड़कियों को बेचईपुरवा में मालिकराम के घर पर पहुंचा देना वहां से कमल व पिन्टू इन चारों लडकियों को सिद्धार्थनगर मेले मे डास करने के लिए लेकर चले जाते कि आप लोगों हम लोगों को रास्ते में ही पकड़ लिये उपरोक्त लोगों को कारण गिरफ्तारी बताया गया हरिराम व रामरुप उपरोक्त से उनके मोटरसाइकिल के कागजात को मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे।" उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त एवं तीन अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 143(5), 141 बी0एन0एस0 2023 पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अज्ञान है। असत्य तथ्यों के आधार पर फर्जी तरीके से नामांकित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट असत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त पिन्टू और कमल दोनों लोग मिलकर डांस पार्टी चलाते हैं जिसके सम्बन्ध में Government of India Ministry of Corporate Affairs के द्वारा डांस पार्टी हेतु लाइसेंस सरकार द्वारा प्राप्त है और उसी लाइसेंस के आधार पर डांस पार्टी चलाते हैं। उक्त अभियोग में सह अभियुक्तगण हरिराम व रामरूप की नियमित जमानत स्वीकार की जा चुकी है तथा सह अभियुक्त कमल उर्फ कमलेश की अग्रिम जमानत भी स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है और न ही आवेदक/अभियुक्त को मौके पर पकड़ा गया है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर चार नाबालिग लड़कियों को नृत्य कराने के बहाने नेपाल से भारत में लाकर अनुचित संभोग एवं उनका लैंगिक शोषण किया जाता था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अपराध संख्या 21/2026, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

मामले से सम्बन्धित विवेचना प्रचलित है। सह अभियुक्तगण हरीराम व रामरूप की ओर से Government of India Ministry of Corporate Affairs के द्वारा डांस पार्टी हेतु निर्गत लाइसेंस की प्रति अपने नियमित जमानत आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी थी। इसके अतिरिक्त पीड़िताओं ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि उन्हें सिद्धार्थनगर डांस करने जाना था। उनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। पीड़िताओं द्वारा अपने–अपने बयानों में आवेदक/अभियुक्त पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से पीड़िताओं के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास विवेचक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह अभियुक्तगण हरीराम एवं रामरूप का नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2026 को स्वीकार किया गया है तथा सह अभियुक्त कमल उर्फ कमलेश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा 25.02.2026 को स्वीकार किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग करने का कथन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त पिन्टू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **पिन्टू** का अग्रिम जमानत आवेदन निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है :–

(I)– यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

(II)– यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,

(III)– यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा पचास हजार रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू एवं उपरोक्त शर्तों के अनुपालन हेतु अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक–एक प्रति पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती व थानाध्यक्ष थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती को प्रेषित की जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 10.03.2026